(मैनुअल-1)

संगठन की विशिष्टयां, कृत्य एवं कर्तव्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गाँधी जी की परिकल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से पंचायतीराज व्यवस्था देश में लागू की गयी थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनतर्गत अनुच्छेद-40 में यह निर्देश दिये गये हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाये और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें।''

महात्मा गाँधी ने कहा था कि '' स्वतन्त्रता की अनुभूति निम्नतम् स्तर से होनी चाहिए। इसलिए हर गाँव में लोकतंत्र को और उसके लिए वहाँ की ग्राम पंचातयों को पर्याप्त अधिकार होने चाहिए। हर गाँव को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह क्षेत्रीय मुद्दों का प्रबन्धन इस हद तक कर सकें कि पूरे विश्व के समक्ष अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रख सकें। स्वतन्त्रता के लिए हर ग्रामवासी को यह जानना जरूरी है कि वह अपना भाग्य निर्माता स्वयं है और वह अपने चुके हुए प्रतिनिधि के जरिये स्वयं ही सरकार तथा सत्ता का अंग भी हैं। ग्रामीण समुदाय ही समाज का केन्द्र और सबसे छोटी आर्थिक इकाई है।''

उत्तर प्रदेश को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम पंचातयीराज व्यवस्था लागू करने का गौरव प्राप्त है। संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम्, 1947 दिनांक 07 दिसम्बर, 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त, 1949 से लगभग 35,000 ग्राम पंचायतों तथा 8,000 पंचायत अदालतों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

वर्ष 1950 में प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन एवं गावों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर पंचायतीराज निदेशालय की स्थापना की गयी। विभाग का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को अधिकाधिक अधिकार सम्पन्न बनाना तथा आर्थिक रूप से सुदृढ करना है ताकि प्रदेश की ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक उत्थान हो सके।

73वें संविधान(संशोधन) अधिनियम्, 1992 के द्वारा संविधान के भाग-9 में किये गये प्राविधानों को कार्यरूप में परिणित करने हेतु प्रदेश में वर्ष 1994 में उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम्, 1947 तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में यथा आवश्यक संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अनुसार प्रदेश में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्तीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी है।

विभाग की विशिष्टियॉ

निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0(निदेशालय)

- प्रदेश स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 का कार्यालय स्थापित है। निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं।
- निदेशाालय स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज के अधीन अपर निदेशक, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज, प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रकाशन अधिकारी नियुक्त हैं। यह समस्त अधिकारी निदेशक, पंचायतीराज के सामान्य नियंत्रण में विभागीय कार्यों का सम्पादनन करते हैं।
- निदेशालय स्तर पर 5 अनुभाग/खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड में एक कार्यालय अधीक्षक नियुक्त है। कार्यालय अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण में ज्येष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ लिपिक आदि नियुक्त हैं।

(1) खण्ड/अनुभाग-1- में बजट वित्त, लेखा एवं आडिट संबंधी समस्त कार्य।

(2) खण्ड/अनुभाग-2- समस्त अधिकारियों/कर्मचारियांे के अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।

(3) खण्ड/अनुभाग-3- निदेशालय प्रबन्ध से संबंधित समस्त कार्य।

(4) खण्ड/अनुभाग-4- त्रिस्तरीय पंचायतें ;ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के परिसीमन, पुर्नगठन, निर्वाचन, प्रशिक्षण, डास्प, क्षमता बु(ि, जन सूचना के अधिकार आदि से संबंधित समस्त कार्यद्ध।

(5) खण्ड/अनुभाग-5- आयोजनागत, आयोजनेत्तर एवं पंचायत उद्योगों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

<u>मण्डलीय उपनिदेशक;पंचायतद्ध कार्यालय</u>

- मंडलीय उपनिदेशक;पंचायतद्ध कार्यालय प्रत्येक मण्डल पर स्थापित है।
- मंडल में आने वाले समस्त जिलों/जनपदों के जिला पंचायतराज अधिकारी मंडलीय उपनिदेशक(पंचायत) के दिशा निर्देशन में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य सम्पादित करते है।
- मंडल के जनपदों में चल रही विभागीय यो◌ोजनाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य मंडलीय उपनिदेशक पंचायत कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- मंडल के जनपदों में कार्यरत गाम पंचायत विकास अधिकारियों एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मण्डल में स्थानांतरण का कार्य

<u>जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय</u>

- जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय जिला/जनपद स्तर पर विकास भवन में स्थापित है। यह जनपद स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय के रूप में स्थापित है।
- जिला/जनपद केक समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत जिला पंचायतराज अधिकारी के नियंत्रण एवं दिशा निर्देशन तथा मार्ग दर्शन में पंचायतीराज विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन करते है।
- जिले में चलायी जा रही समस्त विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यो के निरीक्षण, मार्ग निर्देशन तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत/ब्लाक कार्यालय

- ब्लाक स्तर पर पंचायतीराज विभाग के कार्यो का सम्पादन सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाता है।

- ब्लाक/क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी ;पंचायतद्ध के दिशा निर्देशन एवं मार्ग-दर्शन में कार्य करते हैं।
- सहायक विकास अधिकारी ;पंचायतद्ध खण्ड विकास अधिकारी के नियंत्रण में कार्यों का सम्पादन करते हैं। समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर नियुक्तद्ध के सीधे नियंत्रण में कार्यरत हैं।

ग्राम पंचायत

- पंचायतीराज व्यवस्था की प्रथम संवैधानिक इकाई ग्राम पंचायत हैं। इसका सचिव-ग्राम पंचातय अधिकारी होता है। गाॅंव सभा क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रधान-ग्राम पंचायत का अध्यक्ष एवं अन्य निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायतों के सदस्य होते हैं।
- ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के गाॅंवों में विकास कार्यों का कार्यान्वयन एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं।
- ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अभिरक्षा में रखे जाते हैं।
- ग्राम पंचायतों को 50 हजार तक की योजना स्वयं बनाने तथा योजना का क्रियान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

विभाग के कृत्य

- ग्राम पंचायतों का गठन, पुनर्गठन, परिसीमन, वार्डों का निर्धारण, आरक्षण आदि के कार्य।
- पंचायत प्रतिनिधियांे को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता वृ(ि करना।
- राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विकास कार्यों एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण आदि हेतु स्वीकृत धनराशि सीधे गाॅंव निधि खातों में हस्तान्तरित करना।
- 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में ग्राम पंचायतों को 11वीं अनुसूची के अनुसार विभागों के ग्राम स्तरीय कार्य एवं विकास कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही।
- विभाग द्वारा चलायी जा रही आयोजनागत योजनाओं की धनराशि ग्राम पंचायतों के गाॅंव निधि खातों में हस्तान्तरित कराना।
- ग्राम पंचायतों के लेखा-अभिलेखों की सुचारू रूप से रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा उनका समय से आडिट आदि कराना।
- संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 एवं पंचायतराज नियमावली, 1947 के अनुसार समस्त कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित कराना।
- विभागीय योजनाओं एवं अन्य विकास कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण व स्थलीय निरीक्षण का कार्य।
- अधीनस्थ कार्यालयों एवं ग्राम पंचायतों के अभिलेखांे का निरीक्षण।

विभाग का कर्तव्य

- पंचायतीराज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त कार्यो का सम्पादन, विभाग से संबंधित कार्यो पर नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन।
- योजनाओं की संरचना, उनका अनुश्रवण, उनके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक एक सशक्त और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखना।
- शासन की नीतियों का अनुपालन कराना तथा उनका क्रियान्वयन आदि।
- विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उनका अनुश्रवण एवं निरीक्षण आदि।

विभाग द्वारा प्रदत्त सेवायें

- केन्द्र प्रायोजित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अनुभूत आवश्यकता के सृजन, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने, परिव्यय आधारित कार्यक्रम के स्थान पर मांग आधारित कार्यक्रम चलाये जाने तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक आच्छादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कराया जा रहा है। कार्यक्रम में लाभार्थी की क्षमता और भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कम लागत के शौचालयों पर गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

इस कार्यक्रम में मुख्य बल कार्यक्रम के प्रति जनचेतना जागृत करने और अनुभूत आवश्यकताओं के सृजन पर दिया गया है। वर्ष, 2012 तक प्रदेश को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त कराने हेतु केन्द्र पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शतप्रतिशत बी0पी0एल परिवारों तथा 10 प्रतिशत ए0पी0एल0 परिवारों को रू0-1500/-की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत शौचालयो के निर्माण हेतु प्रदान की जाती है। प्रदेश के समस्त प्राथमिक अपर प्राथमिक एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों;शासकीयद्ध में छात्रों एवं छात्राओं के लिये अलग अलग शौचालय एवं मूत्रालय ईकायों का निर्माण कराया जाता है जिसके लिए प्रति ईकाई रू0-20000/-लागत स्वीकृत है। शिशुओं में शौचालय के प्रयोग की आदत प्रारम्भ से डालने हेतु प्रत्येक आगनबाडी केन्द्र में शिशु उपयोगी शौचालय का निर्माण रू0 5000/- की लागत से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हाट बाजारों, मेला स्थलों तथा ऐसी ग्राम पंचायतांे में जहाॅ व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु परिवारों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है वहाॅ सामुदायित शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था है परन्तु इस हेतु सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को शौचालय के रखरखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है।

- <u>ग्रामीण किसान बाजारों तथा पशु पैठों का विकसितीकरण</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों की आय में वृ(ि के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 से यह योजना प्रारम्भ की गयी है।

- <u>खड़ंजा नाली निर्माण</u>

ग्रामीण जनता को आवागमन की सुविघा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खड़न्जा/नाली का निर्माण प्रदेश के ग्रामों में कराया जाता है।

- राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव, प्रकाश व्यवस्था तथा हैण्डपम्पों की मरम्मत, पेयजल यो◌ेजनाओं एवं स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव आदि के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

<u>जनसहयोग</u>

- 73वें संविधान संशोधन-1992 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए स्वशासी संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किये किये जाने वाले सभी विकास कार्य सामूहिक निर्णय के आधार पर किये जाते हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत को रू0 50,000/- तक की योजना स्वयं बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने का अधिकार प्रदान है।
- विभाग द्वारा संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान समुदान की जनसहभागिता और समुदान केन्द्रित है। उसके क्रियान्वयन में सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों को जोड़े जाने की व्यवस्था है।

पंचायतीराज का प्रशासकीय ढॉचा

मा0 मंत्री, पंचायतीराज

↓

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त

↓

प्रमुख सचिव, पंचायती राज

↓

राज्य निर्वाचन आयोग
1 राज्य निर्वाचन आयुक्त
2 अपर आयुक्त
3 सचिव
4 संयुक्त आयुक्त
5 उपायुक्त
6 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
7 उप सचिव
8 सहायक आयुक्त

निदेशक, पंचायतीराज
1. अपर निदेशक
2. संयुक्त निदेशक
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
4. जिला पंचायतराज अधिकारी (मुख्यालय)

मण्डल स्तर
मण्डलीय उप निदेशक(पं0)

जिला स्तर
1. जिला पंचायतराज अधिकारी
2. सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी;प्रावि0द्व

विकास खण्ड स्तर
सहायक विकास अधिकारी पं

ग्राम पंचायत अधिकारी

सफाई कर्मी

उप निदेशक,
जिला पंचायत,
अनुश्रवण

मण्डल स्तर

जिला स्तर
1ए अध्यक्षए जिला पंचायत
2ए मुख्य अधिकारीए जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी
3ए अपर मुख्य अधिकारी

परियोजना प्रबन्ध इकाई (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)
1. परियोजना निदेशक
2. उप परियोजना निदेशक

निदेशक,
पंचायतीराज ;लेखाद्व
1. संयुक्त निदेशक
2. उप निदेशक;मु0द्व

जिला स्तर
वित्तीय परामर्शदाता,
सहायक लेखाधिकारी